



भारत गणराज्य

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 820]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 1989/अग्राहायण 15, 1911

No. 820] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 1989/AGRAHAYANA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1989

का. आ. 1002(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनु-
च्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार
(कार्य आबंटन) (दो सौ चारवां संशोधन) नियम, 1989
है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. (1) भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961
की प्रथम अनुसूची में—

(क) “15 उद्योग मंत्रालय”, शीर्षक के अधीन उप-
शीर्षक “(iii) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग”
का लोप किया जाएगा, और

(ख) शीर्षक “21 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जाएगी, अर्थात्:—

“21. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग

(ii) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

(2) उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में—

(क) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के उपशीर्षक “ग” रसायन
और पेट्रो-रसायन विभाग और उसके अस्तर्गत
प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; और

(ख) “रसायन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय” और उसके
अस्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् “पेट्रोलियम और
रसायन मंत्रालय”

क. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग

1. प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के साधनों लिए खोज और उनका बोहन ।
2. प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों । सहित पेट्रोलियम का उत्पाद, सप्लाई वितरण विपणन और मूल्य निर्धारण ।
3. तेल परिष्करणियाँ जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं ।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये योज्य ।
5. स्नेह मिश्रण और ग्रीसें ।
6. मंत्रालय द्वारा श्वकृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता ।
7. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
8. तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना, विकास और विनियमन ।
9. उन परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टया आवंटित की गई है, इस सूची में सम्मिलित किये गये विषयों के अंतर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, इंजीनियर्स इंडिया लि. और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, जिनमें उसके अनुषंगी भी शामिल हैं ।
10. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) ।
11. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43) ।
12. पेट्रोलियम पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ।
13. एस्को (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1974 (1974 का 47) ।
14. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) ।
15. बर्मा-शील (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2) ।
16. कालटेक्स (कालटेक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लि. के क्षेत्रों का और कालटेक्स (इंडिया) लि. के भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1977 (1977 का 17) ।
17. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) और तदधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन ।

ख. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

1. औषधियाँ तथा फार्मास्यूटिकल्स ।
2. कीटनाशी [कीटनाशी अधिनियम 19 (1968 का 46) के प्रशासन के अतिरिक्त
3. शीरा-वितरण और मूल्य निर्धारण ।
4. एलकोहल-औद्योगिक और पेय (ऐसे एलकोहल पेय को छोड़कर जिनका आधार शीरे पर हो) भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम 1948 (1948 का 22) सहित ।
5. रंजक द्रव्य रंजक मध्यक ।
6. सभी कार्वनिक और चरमरूप रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टया आवंटित नहीं किए गए हैं ।
7. विभाग द्वारा चरमरूप उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता ।
8. इस विभाग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषय में से भी संबंधित सभी संगठन अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।
9. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टया आवंटित की गई हैं ।
10. भोपाल गैस त्रिमीयिका-सम्बन्धी विशेष विधियाँ ।
11. पेट्रोल रसायन ।
12. सैनूजोस रहित पेंसिलेड फाइबर (नायनन, पॉलि-एस्टर, एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।
13. संपिजल्ट रबर ।
14. प्लास्टिक जिनमें प्लास्टिकों की विरकता और प्लास्टिक की डब्ली हुई वस्तुएँ शामिल हैं ।
15. उपर्युक्त मामलों से संबंधित सभी सरकारी क्षेत्र के एकक ।
16. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।”

(रामस्वामी वेंकटरामन)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/89—मंत्रि

रीतः रास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1989

O. 1002(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following orders further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fourth Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule—

(a) under the heading “15. MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, the sub-heading “(iii) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag)”, shall be omitted;

(b) for the heading “21. MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)”, the following shall be substituted, namely :—

“21. MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)

(i) Department of Petroleum and Natural Gas (Petroleum aur Prakitik Gas Vibhag).

(ii) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag);

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, the sub-heading “C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)” and the entries thereunder shall be omitted;

(b) for the heading “MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (RASAYAN AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS VIBHAG)

1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.

3. Oil refineries, including Lube Plants.

4. Additives for petroleum and petroleum products.

5. Tube blending and greases.

6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

7. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

8. Planning, development and regulation of oilfield services.

9. Public Sector projects falling under the subjects included in this list. Engineers' India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry/Department.

10. The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948).

11. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).

12. The Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).

13. The Esso (Acquisition of Undertaking in India) Act, 1974 (4 of 1974).

14. The Oil Industry (Development), Act, 1974 (47 of 1974).
 15. The Burmah-She (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976).
 16. The Caltex (Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited Act, 1977 (17 of 1977).
 17. Administration of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) and the rules made thereunder.
- B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG).**
1. Drugs and Pharmaceuticals.
 2. Insecticides [excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)].
 3. Molasses—distribution and pricing.
 4. Alcohol—industrial and potable (excluding alcoholic drinks from non-molasses base) including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).
 5. Dye-stuffs and dye-intermediates.
 6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.
 7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
 8. All attached or subordinate offices or organisations concerned with any of subjects specified under this Department.
 9. Public Sector projects concerned with subjects included under this Department except such projects as are specific allotted to any other Ministry or Department.
 10. Bhopal Gas Leak Disaster—Special Law relating thereto.
 11. Petro-chemicals.
 12. Industries relating to production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon Polyester Acrylic) etc.
 13. Synthetic rubber.
 14. Plastics including fabrications of plastic and moulded goods.
 15. All Public Sector units relating to the above matters.
 16. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.”.

(R. VENKATARAMAN),
President

[No. 74/2/1/89-Cab]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.